रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 27—नवम्बर 2, 2012 (कार्तिक 5, 1934)

No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 27—NOVEMBER 2, 2012 (KARTIKA 5, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं..... 861

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... 1091

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... 3

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... 1569

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है)..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 1701

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टें और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस *

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *

भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 12259

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 867

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	861
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1091
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1569
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1701
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	12259
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	867
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्तूबर 2012

सं. 105-प्रेज/2012--राष्ट्रपति, केरल अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

श्री समीर उमरकुट्टी (मरणोपरांत)
फायरमैन

श्री विनोद कुमार विश्वनाथनकुरूप
फायरमैन

दिनांक 31.12.2009 को प्रात: 04:00 बजे, अग्निशमन दल को दूरभाष पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक एलपीजी बुलेट कन्टेनर मंगलौर से पैरीपल्ली की तरफ जाते हुए पुथुनथेरूवू एनएच-47 पर वैगन आर कार से टकरा गया है और उसमें सवार यात्री कार के अंदर फंस गये हैं। सूचना मिलते ही तुरन्त अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए रवाना हुए। मौके पर पहुंचने के पश्चात् अग्निशमन दल ने पाया कि दुर्घटना के कारण एलपीजी बुलेट कन्टेनर लौरी से अलग हो गया है एवं वाल्व के टूट जाने से एलपीजी का रिसाव अधिक मात्रा में होने लगा था। फायरमैन श्री समीर उमरकुट्टी एवं फायरमैन श्री विनोद कुमार विश्वनाथनकुरूप ने फंसे हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया। एलपीजी रिसाव को पानी के छिड़काव से डाइल्यूट करते समय निकटवर्ती गाड़ियों से निकलने वाली चिंगारी से अचानक आग लग गई और चारों तरफ फैल गई जिससे फायरमैन को स्वयं की जान बचाने का भी समय नहीं मिल पाया। इस आग के कारण दोनों फायरमैनों के अंग बुरी तरह झुलस गये। श्री समीर उमरकुट्टी ने जलने के कारण दिनांक 14.01.2010 को अपने प्राण त्याग दिए।

2. इस प्रकार फायरमैन स्वर्गीय समीर उमरकुट्टी एवं फायरमैन श्री विनोद कुमार विश्वनाथनकुरूप ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

3. ये पुरस्कार, वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के तहत् प्रदान किये जाते हैं और परिणामत: नियम 5(क) के तहत् अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 31.12.2009 से इसके साथ देय होगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 106-प्रेज/2012--राष्ट्रपति, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

श्री भास्कर तानाजी मीरपागर
मुख्य अग्निशमन अधिकारी

श्री भीमराव वामन खारे
लीडिंग फायरमैन

दिनांक 28.02.2009 को 16:10 बजे, अग्निशमन केन्द्र को दूरभाष पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एस. एस. इलैक्ट्रिक्ल, हीरा ऑयल फैक्ट्री कम्पाउंड, वाको रेडियो कम्पनी के नजदीक, उल्हासनगर में आग लग गई है। सूचना मिलते ही तुरन्त अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए रवाना हुए। मौके पर पहुंचने के पश्चात् श्री बी. टी. मीरपागर ने यह पाया कि आग फैक्ट्री की इमारत में तेजी से भूतल से पहली मंजिल की ओर फैल रही है। वहां मौजूद लोगों ने यह बताया कि 5--6 लोग जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे वह अभी भी आग में फंसे हुए हैं। श्री बी. टी. मीरपागर ने पानी के जैट योजनाबद्ध स्थानों पर लगा कर आग बुझाने का प्रयास करते हुए बचाव कार्य प्रारंभ कर दिया। अपने प्राणों की परवाह किए बिना धुएं एवं गर्म गैसों से होते हुए श्री भास्कर तानाजी मीरपागर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं श्री भीमराव वामन खारे, लीडिंग फायरमैन इमारत के अंदर गये एवं आग में फंसे लागों को बचाया। इस कार्यवाही के दौरान एलपीजी सिलैण्डर में अचानक हुए विस्फोट से आग का गोला बना जिसमें श्री भास्कर तानाजी मीरपागर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं श्री भीमराव वामन खारे, लीडिंग फायरमैन गंभीर रूप से झुलस गये एवं 22 दिन तक अस्पताल में उपचाराधीन रहे।

2. इस प्रकार श्री भास्कर तानाजी मीरपागर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं श्री भीमराव वामन खारे, लीडिंग फायरमैन ने उत्कृष्ट वीरता, कुशल नेतृत्व, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

3. ये पुरस्कार, वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के तहत् प्रदान किये जाते हैं और परिणामत: नियम 5(क) के तहत् अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 28.02.2009 से इसके साथ देय होगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 107-प्रेज/2012--राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :--

श्री जितेन्द्र कुमार
फायर स्टेशन ऑफिसर

श्री अतर सिंह
लीडिंग फायरमैन

श्री शिव कुमार
फायरमैन

श्री सतीश चन्द
फायरमैन

दिनांक 30.10.2009 को समय 14:05 बजे, मोती बाग, बुलन्दशहर के अग्निशमन केन्द्र में दूरभाष पर यह सूचना प्राप्त हुई कि खान आईस फैक्ट्री, देवीपुरा, बुलन्दशहर में अमोनिया गैस का टैंक फट गया है। सूचना मिलते ही तुरन्त फायर स्टेशन ऑफिसर श्री जितेन्द्र कुमार अग्निशमन दल के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुए। मौके पर पहुंचने के पश्चात् श्री जितेन्द्र कुमार ने यह पाया कि अमोनिया गैस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में फैली हुई थी एवं लोग अपने बचाव के लिए इधर-उधर दौड़ रहे थे। इन कठिन परिस्थितियों में श्री जितेन्द्र कुमार एवं उनके साथ आये दल ने गीले कपड़ों से अपना मुंह ढककर पानी का छिड़काव करते हुए अमोनिया गैस के प्रभाव को कम करना शुरू किया। फायर स्टेशन ऑफिसर जितेन्द्र कुमार, लीडिंग फायरमैन अतर सिंह, फायरमैन शिव कुमार एवं सतीश चन्द ने सभी 13 लोगों को जोकि आईस फैक्ट्री में बेहोश पड़े थे उनको सुरक्षित बचा लिया। इसके अतिरिक्त दल ने चमेली देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज की 16 नाबालिग छात्राओं एवं एक अध्यापक के प्राणों को भी बचाया।

2. इस प्रकार फायर स्टेशन ऑफिसर जितेन्द्र कुमार, लीडिंग फायरमैन अतर सिंह, फायरमैन शिव कुमार एवं सतीश चन्द ने उत्कृष्ट वीरता, कुशल नेतृत्व, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

3. ये पुरस्कार, वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के तहत् प्रदान किये जाते हैं और परिणामत: नियम 5(क) के तहत् अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 30.10.2009 से इसके साथ देय होगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 108-प्रेज/2012--राष्ट्रपति, दिल्ली अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :--

श्री कृष्ण कुमार
लीडिंग फायरमैन

दिनांक 23.04.2009 को समय 12:54 बजे, रूपनगर अग्निशमन केन्द्र दिल्ली में दूरभाष पर यह सूचना प्राप्त हुई कि सीवर विभाग के कुछ लोग पीसीआर कॉलोनी, मॉडल टाउन, दिल्ली में सीवर में फंस गये हैं। सूचना मिलते ही स्टेशन अधिकारी श्री के. के. सक्सेना टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुए। मौके पर पहुंचने के पश्चात् उन्हें यह बताया गया कि तीन लोग सीवर में टोक्सीक गैस होने के कारण अंदर फंस गये हैं। सीवर का मुख्य द्वार तंग होने के कारण ब्रीदिंग अपरेट्स सैट के साथ सीवर के अंदर जाना मुश्किल था। श्री के. के. सक्सेना ने बचाव कार्य आरंभ करते हुए बचाव दल के तीन सदस्यों को एक-एक करके सीवर में भेजा परन्तु असहनीय बदबू एवं जहरीली गैसों के कारण कोई भी सदस्य सीवर के तल तक नहीं पहुंच सका। इन जोखिम परिस्थितियों में श्री कृष्ण कुमार ने सीवर के अंदर फंसे लोगों को बचाने हेतु स्वयं अंदर जाने की पेशकश की एवं अपने प्राणों की परवाह किये बिना रस्सी के सहारे बी. ए. सैट के साथ सीवर में उतर गये। अनेक मुश्किलों के बावजूद वह नीचे तक पहुंचे एवं एक व्यक्ति वहां फंसा हुआ दिखाई दिया जिसे रस्सी के सहारे बांध कर अपने दल के सदस्यों की मदद से सीवर से बाहर की तरफ खींचना आरंभ किया। श्री कृष्ण कुमार एवं फंसे हुए व्यक्ति को जीवित सीवर से बाहर निकाला गया। उसके बाद कृष्ण कुमार ने हिम्मत दिखाते हुए पुन: सीवर में उतरे और काफी खोजने के बाद दूसरे एवं तीसरे व्यक्ति को भी सीवर से बाहर निकालने में सफल हुए। दोनों व्यक्ति बेहोशी की हालत में थे। तीनों बचाये गये व्यक्तियों को हिन्दु राव अस्पताल में भेजा गया जहां पर श्री विनोद एवं श्री अजीत को मृत घोषित किया गया एवं श्री बिजलेश को बचा लिया गया।

2. इस प्रकार लीडिंग फायरमैन श्री कृष्ण कुमार ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

3. यह पुरस्कार, वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के तहत् प्रदान किया जाता हैं और परिणामत: नियम 5(क) के तहत् अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 23.04.2009 से इसके साथ देय होगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 109-प्रेज/2012--राष्ट्रपति, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :--

श्री संजय हरीभाउ कापगते
फायरमैन

दिनांक 02.06.2009 को अग्निशमन केन्द्र सक्कारदारा में दूरभाष पर यह सूचना प्राप्त हुई कि दो लोग श्री रणदीव के प्लॉट संख्या 14, शाहू लॉन, विघ्नहर्ता नगर, हुदकेश्वर रोड, नागपुर में स्थित कुएं के अंदर गिर गये हैं। सूचना मिलते ही तुरन्त एक दल अग्निशमन केन्द्र सक्कारदारा से घटनास्थल के लिए रवाना हुआ। मौके पर पहुंचने के पश्चात् यह पाया कि दो मजदूर जो कुएं के अन्दर मिट्टी निकालने के लिए गये थे वह कार्बनमोनोआक्साइड गैस के कारण बेहोश हो गये हैं। यह जानते हुए भी कि कुएं में कार्बनमोनोआक्साइड गैस है अपनी जान को जोखिम में डालते हुए श्री संजय हरीभाउ कापगते, फायरमैन रस्सी के सहारे कुएं में उतरे एवं दोनों लोगों को एक-एक करके ऊपर ले आये इस बचाव कार्य के दौरान फायरमैन

श्री संजय हरीभाउ कापगते स्वयं भी उस जहरीली गैस से प्रभावित हुए। दोनों मजदूरों एवं फायरमैन श्री संजय हरीभाउ कापगते को अस्पताल में उपचार हेतु भेजा गया। एक मजदूर जिसका नाम सुभाष नामदेवराव था उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित किया एवं दूसरे मजदूर जिसकी पहचान शंकरचंदन सिंह बघेल के रूप में हुई एवं फायरमैन श्री संजय हरीभाउ कापगते को अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई।

2. इस प्रकार फायरमैन श्री संजय हरीभाउ कापगते ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

3. यह पुरस्कार, वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के तहत् प्रदान किया जाता है और परिणामत: नियम 5(क) के तहत् अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 02.06.2009 से इसके साथ देय होगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 110-प्रेज/2012--राष्ट्रपति, उड़ीसा अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

श्री प्रताप कुमार त्रिपाठी
फायरमैन

दिनांक 25.08.2008 को समय 14:45 बजे पदमपुर अग्निशमन केन्द्र में दूरभाष पर यह सूचना प्राप्त हुई कि बडगढ़ के गांव खुन्टपाली में आग लग गई है। सूचना मिलते ही तुरन्त एक दल अग्निशमन केन्द्र से घटनास्थल के लिए रवाना हुआ। मौके पर पहुंचने के पश्चात् यह पाया कि एक चर्च और अनाथालय में आग लगी हुई है। बचाव कार्य के दौरान श्री प्रताप कुमार त्रिपाठी, फायरमैन ने कुछ लोगों के चीखने की आवाज आग लगी हुई चर्च के अन्दर से आती हुई सुनी। चर्च का दरवाजा अन्दर से बन्द होने के कारण बचाव कार्य में परेशानी आ रही थी। अग्निशमन दल ने उपलब्ध यंत्रों की मदद से दीवार में एक छेद बनाया जिससे अन्दर जा सके। श्री त्रिपाठी ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए चर्च के अन्दर धुएं और गर्म गैसों से होते हुए चर्च के फादर ऐडी जो बेहोश पड़े थे उनके पास पहुंचे और उन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। फादर ऐडी को बाहर लाने की प्रक्रिया के दौरान श्री प्रताप कुमार त्रिपाठी, फायरमैन उन्हें कृत्रिम स्वाश देते रहे जिससे उनके प्राण बचे रहें।

2. इस प्रकार फायरमैन श्री प्रताप कुमार त्रिपाठी ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

3. यह पुरस्कार, वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के तहत् प्रदान किया जाता है और परिणामत: नियम 5(क) के तहत् अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 25.08.2008 से इसके साथ देय होगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 111-प्रेज/2012--राष्ट्रपति, तमिलनाडु अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

श्री मुत्थुरामथेवर गजेन्द्रन
डिविजनल ऑफिसर

श्री लिंगम सुब्रमणी
असिसटेन्ट डिविजनल ऑफिसर

श्री अन्नामलाई सुब्रमणी
असिसटेन्ट डिविजनल ऑफिसर

श्री राजप्पा पानीर सेलवम
लीडिंग फायरमैन

श्री कान्सीवम बासकरन
लीडिंग फायरमैन

श्री रामकृष्णन नम:शिवाय कुमार
फायरमैन

श्री नटराज मूर्ति
फायरमैन

दिनांक 15.09.2009 को समय 23:45 बजे, अग्निशमन केन्द्र में दूरभाष पर यह सूचना प्राप्त हुई कि अन्नीमादुगु में बहती हुई पानी की धारा जो अम्बुर शहर के पालर नदी में मिलती है बाढ़ आ गई है। अग्निशमन दल वानीयमबादी, नेतृमपल्ली, अलानगायाम और परमाएबत फायर स्टेशन से श्री मुत्थुरामथेवर गजेन्द्रन, डिविजनल ऑफिसर के नेतृत्व में घटनास्थल के लिए रवाना हुए। मौके पर पहुंचने के पश्चात् यह पाया कि भारी बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक स्थित ओ.ए.आर. सिनेमा के पीछे बने लगभग 500 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग अपने घरों की छतों पर बैठे थे एवं बाढ़ के कारण अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन विषम परिस्थितियों में अपने प्राणों की परवाह किये बिना डिविजनल ऑफिसर श्री मुत्थुरामथेवर गजेन्द्रन, के नेतृत्व में बचाव कार्य प्रारम्भ किया एवं 435 लोगों को जीवित बचा लिया गया एवं साथ ही 5 लोगों की डेडबॉडी को बाढ़ से निकाला।

2. इस प्रकार डिविजनल ऑफिसर श्री मुत्थुरामथेवर गजेन्द्रन, असिसटेन्ट डिविजनल ऑफिसर श्री लिंगम सुब्रमणी, असिसटेन्ट डिविजनल ऑफिसर, श्री अन्नामलाई सुब्रमणी, लीडिंग फायरमैन, श्री राजप्पा पानीर सेलवम, लीडिंग फायरमैन श्री कान्सीवम बासकरन, फायरमैन श्री रामकृष्णन नम:शिवाय कुमार और फायरमैन श्री नटराज मूर्ति ने उत्कृष्ट वीरता, कुशल नेतृत्व अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

3. ये पुरस्कार, वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के तहत् प्रदान किये जाते हैं और परिणामत: नियम 5(क) के तहत् अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 15.09.2009 से इसके साथ देय होगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 112-प्रेज/2012--राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

श्री विद्याकान्त मिश्रा
लीडिंग फायरमैन

दिनांक 19.12.2008 को समय 18:20 बजे अग्निशमन केन्द्र में दूरभाष पर यह सूचना प्राप्त हुई कि फतेहपुर स्थित लक्ष्मी कॉरपोरेशन के स्टेशनरी गोदाम में आग लगी हुई है। सूचना मिलते ही तुरन्त दल अग्निशमन केन्द्र से घटनास्थल के लिए रवाना हुआ। मौके पर पहुंचने के पश्चात् लीडिंग फायरमैन श्री विद्याकान्त मिश्रा ने यह पाया कि आग स्टेशनरी गोदाम में पूरी तरह फैल चुकी है और तेजी से इमारत के प्रथम तल की तरफ बढ़ रही है। तुरन्त कार्यवाही करते हुए आग पर नियंत्रण पाने के लिए अग्निशमन यंत्रों को स्थिति के अनुसार उपयोग में लाया। अचानक श्री विद्याकान्त मिश्रा ने इमारत के प्रथम तल से बचाव के लिए कुछ चीखें सुनी। बिना समय गवाते हुए फंसे हुए व्यक्तियों को बचाने के लिए वह तुरन्त प्रथम तल पर गये। श्री विद्याकान्त मिश्रा ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए, धुएं और गैस में से होते हुए प्रथम तल पर पहुंचे तथा 80 साल के एक बूढ़े श्री गोपी कृष्ण गुप्ता को बचाया।

2. इस प्रकार लीडिंग फायरमैन श्री विद्याकान्त मिश्रा ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

3. यह पुरस्कार, वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के तहत् प्रदान किया जाता है और परिणामत: नियम 5(क) के तहत् अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 19.12.2008 से इसके साथ देय होगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 113-प्रेज/2012--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता-दिवस 2010 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

श्री अजय कुमार शर्मा
चीफ फायर ऑफिसर
दिल्ली

श्री गोपाल चन्द्र मिश्र
चीफ फायर ऑफिसर
दिल्ली

श्री कृष्णा शास्त्री श्रीनिवास
रीजनल फायर ऑफिसर
कर्नाटक

श्री प्रसन्न कुमार नायक
सहायक स्टेशन ऑफिसर
उड़ीसा

श्री सोमनाथ नायक
सहायक स्टेशन ऑफिसर
उड़ीसा

श्री रमेश चन्द्र साहु
फायरमैन
उड़ीसा

श्री थंगैया डेविड विन्सेन्ट देवदास
डिविजनल ऑफिसर
तमिलनाडु

श्री वीरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय
चीफ फायर ऑफिसर
उत्तर प्रदेश

श्री देबाप्रिया बिश्वास
अतिरिक्त महानिदेशक
पश्चिम बंगाल

श्री पथिक चन्द्र गोगाई
सहायक उपनिरीक्षक (फायर)
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय

2. ये पुरस्कार, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत् प्रदान किये जाते हैं।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 114-प्रेज/2012--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता-दिवस 2010 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

श्री पीप्परी वैंकटेश्वर
निदेशक
आन्ध्र प्रदेश

श्री ए. वीरभद्र राव
स्टेशन फायर ऑफिसर
आन्ध्र प्रदेश

श्री पदम सत्यनारायण
लीडिंग फायरमैन
आन्ध्र प्रदेश

श्री कन्नेबोइना ओदेलू
ड्राईवर आपरेटर
आन्ध्र प्रदेश

श्री नरेन्द्र चन्द्र महन्त
स्टेशन ऑफिसर
असम

श्री भूपेन चन्द्र दास
स्टेशन ऑफिसर
असम

श्री खौरचॉद अली हजारिका
स्टेशन ऑफिसर
असम

श्री धीरेश्वर बैश्या
फायरमैन
असम

श्री खरगेस्वर राजबंशी
फायरमैन
असम

श्री भाश्कर प्रसाद सिन्हा
फायर स्टेशन ऑफिसर
बिहार

श्री फकीरा पासवान
सब-ऑफिसर
बिहार

श्री राजेश पनवर
डिविजनल ऑफिसर
दिल्ली

श्री धर्मवीर सिंह यादव
सहायक डिविजनल ऑफिसर
दिल्ली

श्री अभिलाष कुमार मलिक
स्टेशन ऑफिसर
दिल्ली

श्री चन्द्रपाल सिंह
फायरमैन
दिल्ली

श्री रमेश सिंह
फायरमैन
दिल्ली

श्री भूपेन्द्र पाल डोगरा
लीडिंग फायरमैन
हिमाचल प्रदेश

श्री शाम बत्तरा पाल्या नन्जुनडप्पा
जिला अग्निशमन अधिकारी
कर्नाटक

श्री कुप्पे रूद्रैया बीरभद्रैया
फायर स्टेशन ऑफिसर
कर्नाटक

श्री पारेकदाउ सतीश
सहायक फायर स्टेशन ऑफिसर
कर्नाटक

श्री अन्नाल्ली रंगैया रंगैया
सहायक फायर स्टेशन ऑफिसर
कर्नाटक

श्री रामकृष्ण गौडा
लीडिंग फायरमैन
कर्नाटक

श्री जोदागट्टे पपन्ना हनुमन्ते गौडा
फायरमैन ड्राईवर
कर्नाटक

श्री अशोक कुमार चेलाप्पन
सहायक स्टेशन ऑफिसर
केरला

श्री राजशेखरन कुन्जूरमन
लीडिंग फायरमैन
केरला

श्री प्रशान्त दादाराम रणपिसे
सहायक डिविजनल ऑफिसर
महाराष्ट्र

श्री रोमोइया
फायरमैन
मिजोरम

श्री रविन्द्र कुमार स्वाईं
स्टेशन ऑफिसर
उड़ीसा

श्री गणेश प्रसाद राणा
हवलदार मेजर
उड़ीसा

श्री नित्यानन्द जेना
ड्राईवर हवलदार
उड़ीसा

श्री मनोज कुमार साहु
फायरमैन
उड़ीसा

श्री सुभाष सुब्बा
सब-फायर ऑफिसर
सिक्किम

श्री सीवागनानम पिल्लई अरूमुगम
सहायक डिविजनल ऑफिसर
तमिलनाडु

मौ. हुसैन मौ. सादिक अली
स्टेशन ऑफिसर
तमिलनाडु

श्री मनुबल अमृथावासागम
लीडिंग फायरमैन
तमिलनाडु

श्री डैनियल जगनाथन
ड्राईवर मैकेनिक
तमिलनाडु

श्री पालानीगोन्डर बलराज
फायरमैन ड्राईवर
तमिलनाडु

श्री श्रीनिवासन शुनमुगम
फायरमैन
तमिलनाडु

श्री जय शंकर सक्सेना
फायरमैन
उत्तर प्रदेश

श्री विजेन्द्र सिंह
फायर सर्विस ड्राईवर
उत्तर प्रदेश

श्री गौर प्रसाद घोष
डिविजनल फायर ऑफिसर
पश्चिम बंगाल

श्री समीर चौधरी
स्टेशन ऑफिसर
पश्चिम बंगाल

श्री अशोक कुमार बनर्जी
स्टेशन ऑफिसर
पश्चिम बंगाल

श्री सतादल
स्टेशन ऑफिसर
पश्चिम बंगाल

श्री किरन प्रसाद दास
लीडर
पश्चिम बंगाल

श्री शंकर
फायर ऑपरेटर
पश्चिम बंगाल

श्री एस. आर. सुब्रामण्यन
मैनेजर (फायर सर्विस)
एम/ओ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

श्री रणजीत कुमार रामलाल ब्रह्मभट्ट
फायर ऑफिसर
एम/ओ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

श्री जॉर्ज मैथ्यू
सीनियर सहायक चीफ इन्सपेक्टर (फायर)
एम/ओ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा
सीनियर सहायक चीफ इन्सपेक्टर (फायर)
एम/ओ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

2. ये पुरस्कार, सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत् प्रदान किये जाते हैं।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्तूबर 2012

शुद्धिपत्र

सं. ओ-17034/122/2009-एच--भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में दिनांक 07 जुलाई, 2012 से 13 जुलाई, 2012 को प्रकाशित आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ओ-17034/122/2009-एच, दिनांक 21 जून, 2012--

(1) पृष्ठ 525, कॉलम (1), पंक्ति 4 के बाद "अध्याय-I" को शामिल करें;

(2) पृष्ठ 526, कॉलम (1) में--

(क) पंक्ति 38 में "अध्याय I" को "अध्याय II" पढ़ें;

(ख) पंक्ति 40 में "न्यास द्वारा गारंटी" को "3. न्यास द्वारा गारंटी" पढ़ें;

(3) पृष्ठ 526, कॉलम (2), पंक्ति 7 में "3" को "4" पढ़ें;

(4) पृष्ठ 527, कॉलम (1) में--

(क) पंक्ति 1 में "4" को "5" पढ़ें;

(ख) पंक्ति 30 में "5" को "6" पढ़ें;

(5) पृष्ठ 527, कॉलम (2) में--

(क) पंक्ति 1 में "अध्याय II" को "अध्याय III" पढ़ें;

(ख) पंक्ति 3 में "6" को "7" पढ़ें;

(ग) पंक्ति 10 में "7" को "8" पढ़ें;

(घ) पंक्ति 21 में "8" को "9" पढ़ें;

(6) पृष्ठ 528, कॉलम (1) में--

(क) पंक्ति 18 में "9" को "10" पढ़ें;

(ख) पंक्ति 29 में "अध्याय III" को "अध्याय IV" पढ़ें;

(ग) पंक्ति 31 में "10" को "11" पढ़ें;

(घ) पंक्ति 44 में "11" को "12" पढ़ें;

(7) पृष्ठ 528, कॉलम (2), पंक्ति 22 में "12" को "13" पढ़ें;

(8) पृष्ठ 529, कॉलम (2) में--

(क) पंक्ति 4 में "13" को "14" पढ़ें;

(ख) पंक्ति 32 में "अध्याय IV" को "अध्याय V" पढ़ें;

(ग) पंक्ति 34 में "14" को "15" पढ़ें;

(9) पृष्ठ 530, कॉलम (1) में--

(क) पंक्ति 16 में "15" को "16" पढ़ें;

(ख) पंक्ति 23 में "16" को "17" पढ़ें;

(ग) पंक्ति 40 में "अध्याय V" को "अध्याय VI" पढ़ें;

(घ) पंक्ति 42 में "17" को "18" पढ़ें;

(10) पृष्ठ 530, कॉलम (2) में--

(क) पंक्ति 1 में "18" को "19" पढ़ें;

(ख) पंक्ति 25 में "19" को "20" पढ़ें;

(11) पृष्ठ 531, कॉलम (1), पंक्ति 25 में "20" को "21" पढ़ें;

(12) पृष्ठ 531, कॉलम (2), पंक्ति 1 में "21" को "22" पढ़ें;

(13) पृष्ठ 532, कॉलम (1) में--

(क) पंक्ति 13 में "22" को "23" पढ़ें;

(ख) पंक्ति 23 में "23" को "24" पढ़ें;

(ग) पंक्ति 27 में "24" को "25" पढ़ें;

(घ) पंक्ति 31 में "25" को "26" पढ़ें;

(ङ) पंक्ति 42 में "26" को "27" पढ़ें;

(14) पृष्ठ 532, कॉलम (2) में--

(क) पंक्ति 6 में "27" को "28" पढ़ें;

(ख) पंक्ति 33 में "28" को "29" पढ़ें;

(15) पृष्ठ 533, कॉलम (1) में--

(क) पंक्ति 1 में "29" को "30" पढ़ें;

(ख) पंक्ति 8 में "30" को "31" पढ़ें;

(ग) पंक्ति 16 में "31" को "32" पढ़ें;

(16) पृष्ठ 533, कॉलम (2) में--

(क) पंक्ति 1 में "32" को "33" पढ़ें;

(ख) पंक्ति 8 में "33" को "34" पढ़ें;

(ग) पंक्ति 16 में "अध्याय VI" को --अध्याय VII" पढ़ें;

(घ) पंक्ति 18 में "34" को "35" पढ़ें;

(ङ) पंक्ति 23 में "35" को "36" पढ़ें;

(च) पंक्ति 28 में "36" को "37" पढ़ें;

(छ) पंक्ति 33 में "37" को "38" पढ़ें;

राहुल माहना
अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 10th October 2012

No. 105-Pres/2012—The President is pleased to award the President's Fire Service Medal for Gallantry to the under mentioned Officers of Kerala Fire Service:—

Shri Sameer Ummerkutty (Posthumous)
Fireman

Shri Vinod Kumar Viswanathankurup Fireman

2. On 31.12.2009 at 0400 hrs. a call was received by the Fire Brigade informing that one LPG Bullet container going from Mangalore to Parippally had collided with Wagon R Car at Puthentheruvu on NH-47 and the passengers are trapped in the car. Immediately on receipt of call Fire tenders along with fire crew were rushed to the spot. On reaching the scene of incident it was observed that due to the impact of accident the LPG Bullet Container separated from the lorry and the LPG started leaking in huge quantity due to broken valve of the container. Fireman Shri Sameer Ummerkutty and Fireman Shri Vinod Kumar Viswanathankurup rescued all the trapped persons in the car safely. While diluting the leaking LPG with the spray of water the vapors caught fire due to spark from nearby passing vehicle and there was sudden spread of fire in the vast area leaving hardly any time for these fireman to save themselves. In this fire both these fireman got severe burn injuries on their body parts. Shri Sameer Ummerkutty succumbed to his burn injuries on 14.01.2010 and sacrificed his life.

3. Fireman Late Sameer Ummerkutty and Fireman Shri Vinod Kumar Viswanathankurup thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

4. These awards are made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of President's Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f. 31.12.2009

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 106-Pres/2012—The President is pleased to award the President's Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned Officers of Maharashtra Fire Service:—

Shri Bhaskar Tanaji Mirpagar, Chief Fire Officer

Shri Bhimrao Waman Khaire, Leading Fireman

On 28.02.2009 at 1610 hrs. a call was received at the Fire Station informing that Fire has broken out at SS Electrical, Hira Oil Factory compound near Wacco Radio Company, Ulhasnagar. Immediately after receipt of call Fire Tenders with crew rushed to the spot. After reaching the scene of incident Shri B. T. Mirpagar observed that the fire is spreading fast from the ground to the first floor of the factory building. People gathered there informed that 5-6 people working in the factory are still trapped in the fire. Shri B. T. Mirpagar placed water jets at strategic locations to fight the fire and started rescue operations. Putting their lives in danger both Shri B. T. Mirpagar, Chief Fire Officer and Shri Bhimrao Waman Khaire, Leading Fireman went inside the building through the smoke and hot gases and rescued all the trapped persons. During the rescue operations there was sudden explosion in the LPG cylinders creating huge ball of fire in which Shri B. T. Mirpagar and Shri Bhimrao Waman Khaire got serious burn injuries and remained hospitalized for 22 days.

2. Chief Fire Officer Shri Bhaskar Tanji Mirpagar and Leading Fireman Shri Bhimrao Waman Khaire thus displayed conspicuous gallantry, leadership, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

3. These award are made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of President's Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f. 28.02.2009.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 107-Pres/2012—The President is pleased to award the President's Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned Officers of Uttar Pradesh Fire Service:—

Shri Jitendra Kumar, Fire Station Officer

Shri Atar Singh, Leading Fireman

Shri Shiv Kumar, Fireman

Shri Satish Chand, Fireman

On 30.10.2009 at 1405 hrs a call was received at Fire Station Moti Bagh, Bulandshahar informing that Ammonia Gas tank has exploded in the Khan Ice Factory, Devipura, Bulandshahar. Immediately on receipt of call Fire Station Officer Shri Jitendra Kumar with his crew rushed to the spot. On reaching the scene of incident Shri Jitendra Kumar observed that there was a huge concentration of Ammonia gas in the area and people were running here and there for safety. In this difficult situation Shri Jitendra Kumar and his team covering their face with the wet clothes and water spray jets went on neutralizing the Ammonia gas. Fire Station Officer Shri Jitendra Kumar, Leading Fireman Shri Atar Singh, Fireman Shri Shiv Kumar and Fireman Shri Satish Chand rescued all the 13 persons who were lying in unconscious state in the Ice factory. They also rescued 16 minor girl students and one teacher of Chameli Devi Girls Inter College.

2. Fire Station Officer Shri Jitendra Kumar, Leading Fireman Shri Atar Singh, Fireman Shri Shiv Kumar and Fireman Shri Satish Chand thus displayed conspicuous gallantry, leadership, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

3. These awards are made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of President's Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f. 30.10.2009.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 108-Pres./2012—The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the undermentioned Officer of Delhi Fire Service :—

Shri Krishan Kumar
Leading Fireman

On 23rd April, 2009 at 1254 hrs. a call was received at Fire Station Roop Nagar of Delhi Fire Service stating that some personnel of Sewer Department are trapped inside a Sewer at PCR Colony, Model Town, Delhi. Immediately on receipt of call Station Officer Shri K. K. Saxena along with crew rushed to the spot. On reaching the scene of incident he was informed that three persons are trapped inside the Sewer due to presence of toxic gases. The sewer main hole was very narrow and it was not possible to enter the main hole with the breathing apparatus set. Shri K. K. Saxena started the rescue operation by sending three persons in the sewer hole one by one but nobody could reach the bottom of the sewer and came back due to unbearable foul smell and poisonous gases. Under these difficult circumstances Shri Krishan Kumar offered to go inside the sewer to rescue the trapped persons. Without caring for his life he first entered into the sewer main hole with the help of rope and wore B.A. set while inside the main hole. With great struggle he reached the bottom and spotted one trapped person, tied the rope around him and gave a signal to his colleagues out side to pull him up. Both Shri Krishan Kumar and the trapped person were pulled up and brought to the surface. The rescued man was alive. He again dared to enter the sewer and after searching removed the second and the third causality in the same way. Both were unconscious. All the three rescued persons were removed to Hindu Rao Hospital where Shri Vinod and Shri Ajeet were declared brought dead and Shri Bijlesh could be saved.

2. Leading Fireman Shri Krishan Kumar thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

3. This award is made for gallantry under rule 3(i) of the rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f. 23.04.2009.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 109-Pres./2012—The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the undermentioned Officer of Maharashtra Fire Service :—

Shri Sanjay Haribhau Kapgate
Fireman

On 02.06.2009 a call was received at Fire Station Sakkardara informing that two persons have fallen inside a well at Mr. S. Randive's residence, Plot No. 14, Besides Shahu Lawn, Vighanaharta Nagar, Hudkeshwar Road, Nagpur. Immediately on receipt of call fire Tenders alongwith fire crew of Sakkardara Fire Station rushed to the spot. On reaching the scene of incident it was found that two labuourers who went down inside the very narrow well to remove silt have become inconscious due to the carbon monoxide emitted by petrol driven pump used for dewatering of the well. Knowing well the risk of carbon monoxide to his own life Shri Sanjay Haribhau Kapgate, Fireman went down the well with the help of a rope and brought out both the casualties one by one. During this rescue operation Fireman Shri Sanjay Haribhau Kapgate was also affected with the poisonous gases. Both the labourers and Shri Sanjay Haribhau Kapgate were rushed to the Hospital for rendering the required treatment. One of the labourers named Shri Subhash Namdevrao Meshram was declared dead by the Doctor and another labourer identified as Shanker Chandansingh Baghel and Fireman Shri Sanjay Haribhau Kapgate were admitted and were out of danger.

2. Fireman Shri Sanjay Haribhau Kapgate thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

3. This award is made for gallantry under rule 3(i) of the rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f. 02.06.2009.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 110-Pres./2012—The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the undermentioned Officer of Odisha Fire Service :—

Shri Pratap Kumar Tripathy
Fireman

On 25.08.2008 at 1445 hrs. a call was received at Padmapur Fire Station informing that a fire has broken out at Vill. Khuntpali, Bargarh. Immediately on receipt of call fire Tenders along with the fire crew rushed to the spot. On reaching at the scene of incident it was found that a church and orphanage center were on fire. During fire fighting operations Shri Pratap Kumar Tripathy, Fireman heard some human voice screaming for help from inside the church building which was on fire. The church door locked from inside and very difficult to open to rescue the trapped person. With the help of Fire Brigade tools the fire crew made a hole for forcible entry in the wall beneath the window. Shri Tripathy without caring for his life managed to enter the hole by crawling through the smoke and hot gases and reached the victim Father Eddy lying unconscious. While bringing the

Father Eddy out in the open Shri Tripathy kept Father Eddy alive by giving him artificial breathing.

2. Fireman Shri Pratap Kumar Tripathy thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

3. This award is made for gallantry under rule 3(i) of the rules governing the award of fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f. 25.08.2008.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 111-Pres./2012—The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the undermentioned Officers of Tamil Nadu Fire Service :—

Shri Muthuramthevar Gajendran
Divisional Officer

Shri Lingam Subramani
Asstt. Divisional Officer

Shri Annamalai Subramani
Asstt. Divisional Officer

Shri Rajappa Panneer Selvam
Leading Fireman

Shri Kansivam Baskaran
Leading Fireman

Shri Ramakrishnan Namasivaya Kumar
Fireman

Shri Nataraj Moorthy
Fireman

On 15.09.2009 at 2345 hrs. a call was received by the Fire Brigade informing that there is flood in the water stream of Animadugu which join the Palar river at Ambur town. Teams of Fire Brigade personnel headed by Divisional Officer Shri Muthuramthevar Gajendran from Vaniyambadi, Natrampalli, Alangayam and permambut Fire Stations rushed to the spot. On reaching the scene of incident it was found that due to heavy rains water has entered into more than 500 houses behind the OAR theatre on the National Highway. People were seen sitting on the rooftops of the houses and on the southern side of the stream people living in the 150 huts were also stranded in the floods struggling for life. In spite of all odds and danger to their lives the team lead by Divisional Officer Shri Muthuramthevar Gajendran managed to rescue about 435 persons from the floods and retrieve the bodies of five people.

2. Divisional Officer Shri Muthuramthevar Gajendran, Assistant Divisional Officer Shri Lingam Subramani, Assistant Divisional Officer Shri Annamalai Subramani, Leading Fireman Shri Rajappa Panneer Selvam, Leading Fireman Shri Kansivam Baskaran, Fireman Shri Ramakrishnan Namasivaya Kumar and Fireman Shri Nataraj Moorthy thus displayed conspicuous gallantry, leadership, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

3. These awards are made for gallantry under rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f. 15.09.2009.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 112-Pres./2012—The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the undermentioned Officer of Uttar Pradesh Fire Service :—

Shri Vidya Kant Mishra
Leading Fireman

On 19th December, 2008 at 1820 hrs. a call was received by the fire brigade stating that fire has broken out in stationery godown of Laxmi Corporation, 142, Collector Ganj, Fatehpur. Immediately on receipt of call Fire Tenders alongwith fire crew rushed to the spot. On reaching at the scene of incident Shri Vidya Kant Mishra, Leading fireman observed that the fire was in the stationery godown and spreading fast towards the first floor of the building. He placed fire fighting jets at strategic locations to control the fire. Suddenly, Shri Mishra heard cries for help from the first floor. Without loosing time he immediately rushed to the first floor to save the trapped person. In spite of danger to his life he reached the first floor of the building through thick smoke and hot gases and rescued the 80 years old man namely Shri Gopi Krishna Gupta.

2. Leading Fireman Shri Vidya Kant Mishra thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, leadership, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

3. This award is made for gallantry under Rule 3(i) of the rules governing the award of fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f. 19.12.2008.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 113-Pres/2012—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2010 to award the President's Fire Service Medal for Distinguished Service to the undermentioned officers :—

Shri Ajay Kumar Sharma
Chief Fire Officer
Delhi

Shri Gopal Chandra Misra
Chief Fire Officer
Delhi

Shri Krishna Shastry Srinivas
Regional Fire Officer
Karnataka

Shri Prasanna Kumar Nayak
Asstt. Station Officer
Odisha

Shri Somanath Nayak
Asstt. Station Officer
Odisha

Shri Ramesh Chandra Sahoo
Fireman
Odisha

Shri Thangaiya David Vincent Devadas
Divisional Officer
Tamil Nadu

Shri Virendra Prasad Pandey
Chief Fire Officer
Uttar Pradesh

Shri Debapriya Biswas
Addl. Director General
West Bengal

Shri Pathik Chandra Gogoi
ASI (Fire)
C.I.F.S., MHA

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of President's Fire Service Medal for Distinguished Service.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 114-Pres./2012—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2010 to award the Fire Service Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers :—

Shri Pippari Venkateshwar
Director
Andhra Pradesh
Shri A. Veerabhadra Rao
Station Fire Officer
Andhra Pradesh

Shri Padam Satyanarayan
Leading Fireman
Andhra Pradesh

Shri Kanneboina Odelu
Driver Operator
Andhra Pradesh

Shri Narendra Chandra Mahanta
Station Officer
Assam

Shri Bhupen Chandra Das
Station Officer
Assam

Shri Khorchand Ali Hazarika
Station Officer
Assam

Shri Dhireswar Baishya
Fireman
Assam

Shri Khargeswar Rajbongshi
Fireman
Assam

Shri Bhashker Prasad Sinha
Fire Station Officer
Bihar

Shri Fakira Paswan
Sub-Officer
Bihar

Shri Rajesh Panwar
Divisional Officer
Delhi

Shri Dharmvir Singh Yadav
Asstt. Divisional Officer
Delhi

Shri Abhilash Kumar Malik
Station Officer
Delhi

Shri Chanderpal Singh
Fireman
Delhi

Shri Ramesh Singh
Fireman
Delhi

Shri Bhupinder Pal Dogra
Leading Fireman
Himachal Pradesh

Shri Sham Battara Palya Nanjundappa
Distt. Fire Officer
Karnataka

Shri Kuppe Rudraiah Veerabadraiah
Fire Station Officer
Karnataka

Shri Parekadau Sathish
Asstt. Fire Station Officer
Karnataka

Shri Annalli Rangaiah Rangaiah
Asstt. Fire Staton Officer
Karnataka

Shri Ramakrishne Gowda
Leading Fireman
Karnakata

Shri Jodagatte Papanna Hanumanthegowda
Fireman Driver
Karnataka

Shri Asoka Kumar Chellappan
Asstt. Station Officer
Kerala

Shri Rajasekharan Kunjuraman
Leading Fireman
Kerala

Shri Prashant Dadaram Ranpise
Asstt. Divisional Officer
Maharashtra

Shri Romawia
Fireman
Mizoram

Shri Rabindra Kumar Swain
Station Officer
Odisha

Shri Ganesh Prasad Rana
Havildar Major
Odisha

Shri Nityananda Jena
Driver Havildar
Odisha

Shri Manoj Kumar Sahu
Fireman
Odisha

Shri Subash Subba
Sub Fire Officer
Sikkim

Shri Sivagnanam Pillai Arumugam
Asstt. Divisional Officer
Tamil Nadu

Mohd. Hussain Mohamed Sadiq Ali
Station Officer
Tamil Nadu

Shri Manuval Amirthavasagam
Leading Fireman
Tamil Nadu

Shri Daniel Jaganathan
Driver Mechanic
Tamil Nadu

Shri Palanigounder Balraj
Fireman Driver
Tamil Nadu

Shri Srinivasan Shunmugam
Fireman
Tamil Nadu

Shri Jai Shankar Saxena
Fireman
Uttar Pradesh

Shri Bijendra Singh
Fire Service Driver
Uttar Pradesh

Shri Gour Prasad Ghosh
Divisional Fire Officer
West Bengal

Shri Samir Choudhury
Station Officer
West Bengal

Shri Ashoke Kumar Banerjee
Station Officer
West Bengal

Shri Satadal
Station Officer
West Bengal

Shri Kiran Prasad Das
Leader
West Bengal

Shri Shankar
Fire Operator
West Bengal

Shri S. R. Subramanian
Manager (Fire Service)
M/o Petroleum & Natural Gas

Shri Ranjit Kumar Ramlal Brahmbhatt
Fire Officer
M/o Petroleum & Natural Gas

Shri George Mathew
Sr. Asstt. Chief Inspector (Fire)
M/o Petroleum & Natural Gas

Shri Prakash Chandra Sharma
Asstt. Chief Inspector (Fire)
M/o Petroleum & Natural Gas

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of Fire Service Medal for Meritorious Service.

SURESH YADAV
OSD to the President

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

New Delhi, the 8th October 2012

CORRIGENDUM

No. O-17034/122/2009-H—In the notification of the Government of India in the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, vide Number O-17034/122/2009-H dated 21st June, 2012, published in the Gazette of India, Part I, Section I, dated July 7—July 13, 2012—

(i) page 575, in column (2), after line 5, insert "CHAPTER I";

(ii) page 577, in column (1),—

(a) line 21, for "CHAPTER I", read "CHAPTER II";

(b) line 23, for "Guarantee by the Trust", read "3. Guarantee by the Trust";

(c) line 34, for "3", read "4";

(iii) page 577, in column (2), line 29, for "4" read "5";

(iv) page 578, in column (1),—

(a) line 9, for "5" read "6";

(b) line 28, for "CHAPTER II" read "CHAPTER III";

(c) line 30, for "6" read "7";

(d) line 38, for "7" read "8";

(v) page 578, in column (2), line 3, for "8" read "9";

(vi) page 579, in column (1),—

(a) line 1, for "9" read "10";

(b) line 15, for "CHAPTER III" read "CHAPTER IV";

(c) line 17, for "10" read "11";

(d) line 36, for "11" read "12";

(vii) page 579, in column (2), line 12, for "12" read "13";

(viii) page 580, in column (1), line 52, for "13" read "14";

(ix) page 580, in column (2),—

(a) line 32, for "CHAPTER IV" read "CHAPTER V";

(b) line 34, for "14" read "15";

(x) page 581, in column (1),—

(a) line 16, for "15" read "16";

(b) line 26, for "16" read "17";

(c) line 49, for "CHAPTER V" read "CHAPTER VI";

(d) line 51, for "17" read "18";

(xi) page 581, in column (2),—

(a) line 3, for "18" read "19";

(b) line 31, for "19" read "20";

(xii) page 582, in column (1), line 30, for "20" read "21";

(xiii) page 582, in column (2), line 5, for "21" read "22";

(xiv) page 583, in column (1),—

(a) line 21, for "22" read "23";

(b) line 32, for "23" read "24";

(c) line 36, for "24" read "25";

(d) line 41, for "25" read "26";

(xv) page 583, in column (2),—

(a) line 3, for "26" read "27";

(b) line 14, for "27" read "28";

(c) line 45, for "28" read "29";

(xvi) page 584, in column (1),—

(a) line 11, for "29" read "30";

(b) line 18, for "30" read "31";

(c) line 28, for "31" read "32";

(xvii) page 584, in column (2),—

(a) line 6, for "32" read "33";

(b) line 15, for "33" read "34";

(c) line 25, for "CHAPTER VI" read "CHAPTER VII";

(d) line 27, for "34" read "35";

(e) line 32, for "35" read "36";

(f) line 38, for "36" read "37";

(g) line 44, for "37" read "38";

RAHUL MAHNA
Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012

MGIPF—[PART I— SEC. 1]—120 Copies.